निगरानी / टीए/72/ 2005/ भरतपुर
सुगनी बनाम किशनप्यारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
03-11-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को कोस्ट पर स्वीकार किया गया है। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि वादीगण अप्रार्थी सं.1 से 6 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 1986 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयां कायम की गई। वाद प्रस्तुत होने के लम्बे समय पश्चात् वर्ष 2004 में अप्रार्थी सं.1 से 6 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया जबकि उक्त दस्तावेज वाद के समय प्रस्तुत किये जा सकते थे तथा वाद के समय उक्त दस्तावेज उपलब्ध न होने का कोई कारण भी नहीं अंकित किया। इतने लम्बे समय पश्चात् दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं संशोधन की आवश्यकता को वादीगण अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की औचित्यता से प्रार्थीगण अवगत हो सके। अतः निगरानी को स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। 3– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुये बहस में कहा कि वादी अप्रार्थीगण द्वारा चाहे गये संशोधन एवं प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से मूल वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई तथ्य सहवन से वाद में लिखने से रह जाता है तो आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रावधान के तहत उसमें संशोधन करवाया जा सकता है। वाद अप्रार्थीगण का है तथा सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार वाद के निर्णय से पूर्व वह दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने हेतु वादीगण पर कोस्ट अधिरोपित की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

3. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखंड अधिकारी कुम्हेर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को आलोच्य आदेश से कोस्ट पर स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार करने का यह कारण अंकित किया है कि दावा वादी का है और वादी अपने दावे का स्वयं मालिक होता है इसलिये न्याय की दृष्टि से वादी के द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र 400/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किये जाते है। हमारी सुविचारित राय में वादी अप्रार्थीगण द्वारा चाहे गये संशोधन एवं प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से मूल वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेक का सकारात्मक उपयोग कर अप्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को कोस्ट पर स्वीकार किया गया है। जिसमें निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 1–11–04 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावे। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद वर्ष 1986 से विचाराधीन है ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखंड अधिकारी कुम्हेर को न्यायहित में निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये मूल वाद का निस्तारण नियमानुसार यथासंभव 6 माह में करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य